

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।

पत्रांक 1209 / एस0टी0 / 2020-21

दिनांक 2/11 / 2020

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

विषय :- कक्षा-1 से कक्षा-5 एवं कक्षा-6 से 8 तक की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र के संबंध में।

कृ० उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सं०-वै०हा०/6735-37/2020-21 दि० 01-09-2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रबंधक, श्री मनमोहन शर्मा (वैध जी) पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, बिलारी, जि० मुरादाबाद का पत्र दि० 21-08-2020 द्वारा पी०उब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा विद्यालय में पायी गयी कमियों का निराकरण कर शासनादेश सं०-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दि० 11 जनवरी, 2019 के क्रम में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

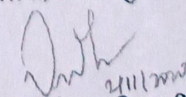
उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र सं०-909/एस०टी०/2020-21 दिनांक 21-09-2020 के द्वारा अधि० अभि०, नि०ख०-1, लो०नि०वि०, मुरादाबाद से उक्त विद्यालय का शासनादेश दि० 11-01-2019 के प्रस्तर-17 के क्रम में स्थलीय निरीक्षण कराया गया। उक्त क्रम में अधि० अभि०, नि०ख०-1, लो०नि०वि०, मुरादाबाद ने अपने कार्यालय के पत्र सं०-1346/प्रा०वर्ग० दिनांक 16-10-2020 के द्वारा प्रबंधक, श्री मनमोहन शर्मा (वैध जी) पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, बिलारी, जि० मुरादाबाद का स्थलीय सत्यापन उपरान्त निरीक्षण आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उक्त क्रम में अधि० अभि०, नि०ख०-1, लो०नि०वि०, मुरादाबाद द्वारा प्रबंधक, श्री मनमोहन शर्मा (वैध जी) पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, बिलारी, जि० मुरादाबाद के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सत्यापन आख्या आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य विकास अधिकारी,
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि-प्रबंधक, श्री मनमोहन शर्मा (वैध जी) पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, बिलारी, जि० मुरादाबाद को सूचनाार्थ।


मुख्य विकास अधिकारी,
मुरादाबाद।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 1346/प्र०वि०

दिनांक 16/10/2020

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
मुरादाबाद।

विषय :- कक्षा -1 से- 5 एवं कक्षा-6 से कक्षा से -8 तक अग्रेजी माध्यम की मन्यता हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 909/एस0टी0/2020-21, दिनांक 21.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रबन्धक श्री मनमोहन^{शर्मा} (वैद्य जी) पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, जिला मुरादाबाद द्वारा विद्यालय की मान्यता हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त विद्यालय की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया सुरक्षित प्रतीत होता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

दिनांक

पत्रांक :-

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल-प्रथम तल भवनों हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम :- श्री मनमोहन शर्मा (वैद्य जी) पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद

सन्दर्भ :- शासनादेश सं०-2203/70-5-2009 शिक्षा (5) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक 25.09.2009 एवं कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद का पत्रांक 909/एस0टी0/2020-21 दिनांक 21.09.2020

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉच आख्या
1	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला ?	दो मंजिला
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी०) है ?	हाँ
3	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ?	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सकुलेशन है ?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हाँ
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	हाँ
7	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट से बनी है ?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श में न्यूनतम 3.6 मी० (ठड़े क्षेत्रों में 3.00 मी०) है ?	हाँ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीबल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है ?	हाँ
11	क्या खिड़कियाँ का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है ?	हाँ
14	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	हाँ
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है ?	हाँ
16	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है ?	हाँ
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है ?	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे हैं ?	हाँ
19	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है ?	हाँ
20	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है ?	हाँ
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य इन्क्विपमेन्ट ISI मार्ग सामग्री द्वारा बदले गये हैं ?	हाँ

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद

विद्यालय का नाम :- श्री मनमोहन शर्मा (वैद्य जी) पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, बिलारी, जिला मुरादाबाद।

